कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 823 /29–1(1) देहरादून दिनांक, 4 फरवरी, 2015

सेवा में,

1. श्री एस0पी0 शर्मा, सहायक वन संरक्षक/वन्यजीव प्रतिपालक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून।
2. श्री वी0के0 सिंह, सहायक वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इंदिरा नगर, देहरादून।
3. श्री बी0के0 श्रीवास्तव, सहायक वन संरक्षक, कार्यालय मा0सं0वि0 एवं का0प्र0,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4. श्री रंगनाथ पाण्डे, सहायक वन संरक्षक, अलकनंदा भू0सं0व0प्र0, गोपेश्वर।
5. श्री नवीन चन्द्र भट्ट, सांख्यिकीय अधिकारी, कार्यालय नि0एवंवि0 प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. श्री विमलकुमार, सांख्यिकीयअधिकारी, कार्यालय अनुश्रवण,मूल्यांकनएवंऑडिट, उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. श्री कुलदीप सिंह रावत, प्रधान सहायक, कार्यालय नि0एवंवि0 प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. श्री अजय प्रकाश यादव,सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : **समूह "घ" के पदों पर विनियमितिकरण हेतु दैनिक श्रमिकों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच हेतु टीमों का गठन।**

सन्दर्भ : **प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड का पत्रांक ख–1256/29–3(3) दिनांक 04.02.2015.**

महोदय,

उक्त सन्दर्भित पत्र से समूह "घ" के पदों पर विनियमितिकरण हेतु दैनिक श्रमिकों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच हेतु गठित चार टीमों में आपको सम्मिलित किया गया है। उक्त सन्दर्भित पत्र में टीमों के गठन, टीमों के कार्य निर्धारण तथा निर्धारित अवधि/तिथियों का उल्लेख किया गया है। उक्त कार्य अधोहस्ताक्षरी के निर्देशन में दिनांक 09.02.2015 से प्रारम्भ होकर समाप्ति होने तक किया जाना है।

उक्त जांच कार्य के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया तथा रूपरेखा तैयार करने हेतु इस कार्यालय में दिनांक 07.02.2015 को प्रातः 11:00 बजे एक बैठक आहूत की गयी है। उक्त बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेना तथा उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुसार कार्यों का सम्पादन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उक्त सन्दर्भित पत्र की प्रति।

भवदीय,

04.02.2015

(मोनिष मल्लिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
मा0सं0वि0 एवं का0प्र0
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 823 /29–1(1) तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिकारियों/कार्मिकों को उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुसार कार्यों के सम्पादन हेतु वन मुख्यालय परिसर, राजपुर रोड, देहरादून में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें –

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं ऑडिट, देहरादून।
5. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
6. वन संरक्षक/निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर।

04.02.2015

(मोनिष मल्लिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
मा0सं0वि0 एवं का0प्र0
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक सं0 स्था- 1288 /29-3(3) देहरादून दिनांक, 04 जनवरी, 2015 मार्च

कार्यालय आदेश

रिट याचिका संख्या 1969/2011 (हरीश चन्द्र सती व अन्य बनाम राज्य व अन्य) में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 03.11.2014 तथा रिट याचिका संख्या 1759/2014 (मथुरा दत्त व अन्य बनाम राज्य व अन्य) में दिए गए निर्णय दिनांक 08.12.2014 के अनुसार वन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत दैनिक श्रमिकों के विनियमितिकरण की कार्यवाही विभाग में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर की जानी है।

अधोहस्ताक्षरी के निर्देशानुसार दिनांक 29.01.2015 को श्रीमती बीना सेखरी, प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाऐं की अध्यक्षता में दैनिक श्रमिकों के समूह "घ" के रिक्त पदों पर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्देशों के क्रम में विनियमितिकरण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी जिसमें श्री मोनिष मल्लिक, अपर प्रमुख वन संरक्षक, मा0सं0वि0 एवं का0प्र0, श्री सुरेन्द्र मेहरा, वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, श्री बी0के0 श्रीवास्तव, कार्यालय मा0सं0वि0 एवं का0प्र0 तथा श्री पूरन चन्द्र मासीवाल, कोर्ट सेल, नैनीताल द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त विनियमितिकरण की कार्यवाही राज्य स्तर पर दैनिक श्रमिकों की वरिष्ठता के क्रम में, वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी के कुल रिक्त पदों की संख्या की सीमा तक किए जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः अपर प्रमुख वन संरक्षक, मा0सं0वि0 एवं का0प्र0 के पत्रांक 758/29–1(1) दिनांक 15.01.2015 से जारी विनियमितिकरण प्रकिया को निरस्त करते हुए, उत्तरांचल वन विभाग (समूह 'घ' के पदों पर) दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितिकरण नियमावली, 2003 के अनुसार बिनियमितिकरण की प्रक्रिया निम्नप्रकार निर्धारित की जाती है –

1. दैनिक श्रमिकों की पात्रता से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का परीक्षण राज्य स्तर पर चार सहायक वन संरक्षकों की अलग–अलग टीमों द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक, मा0सं0वि0 एवं का0प्र0, उत्तराखण्ड के दिशा–निर्देशन में राजपुर रोड़ स्थित वन मुख्यालय परिसर, देहरादून में किया जाएगा।

2. उक्त विनियमितिकरण प्रकिया में दिनांक 29.06.1991 से पूर्व रखे गए दैनिक श्रमिकों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच की जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद भी विनियमितिकरण हेतु पर्याप्त संख्या में उपयुक्त श्रमिक न पाए जाने तथा पदों की रिक्ति रहने पर इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

3. विभिन्न कार्यालयों में दिनांक 29.06.1991 से पूर्व रखे गए दैनिक श्रमिकों से सम्बन्धित समस्त मूल अभिलेख उनकी वरिष्ठता क्रम में संकलित कर सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों द्वारा कार्यालय के अधिष्ठान/लेखा से सम्बन्धित कार्मिक के माध्यम से निर्धारित टीम के समक्ष निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किए जाऐंगे। अभिलेखों के साथ सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह प्रमाण पत्र भी प्रेषित किया जायेगा कि उनके द्वारा स्वयं अभिलेखों का अवलोकन कर 'वैधानिक तथा सत्य' अभिलेख ही जॉच हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

4. प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेखों में निम्न अभिलेख सम्मिलित हैं –

* अपर प्रमुख वन संरक्षक, मा0सं0वि0 एवं का0प्र0 के पत्रांक 758 / 29–1(1) दिनांक 15.01.2015 से वांछित प्रपत्रों – 1 व 2 की सूचना।
* भुगतान सम्बन्धी समस्त मूल कैश बुक / प्रमाणक (जिससे सिद्ध हो सके कि भुगतान उसी कार्मिक को हुआ है तथा वह निरन्तर कार्यरत है),
* शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
* जाति / आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
* कार्य प्रारम्भ की तिथि सम्बन्धित प्रमाण पत्र तथा अन्य सम्बन्धित ।

5. अभिलेखों की जांच के उपरान्त विनियमितिकरण हेतु योग्य पाए गए दैनिक श्रमिकों की उनकी वरिष्ठता के क्रम में सूची तैयार कर तथा नियुक्ति के कार्यालय का निर्धारण कर अपर प्रमुख वन संरक्षक, मा0सं0वि0 एवं का0प्र0 द्वारा अन्तिम सूची जारी की जाएगी।

6. उक्त सूची के अनुसार विनियमितिकरण किए जाने सम्बन्धी निर्देश प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा समस्त कार्यालयाध्यक्षों को जारी किए जायेंगे।

7. कार्यालयों को निर्धारित श्रमिकों के विनियमितिकरण आदेश सम्बन्धित कार्यालयों (जिस कार्यालय में पद रिक्त होगा) द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष निर्गत किए जायेंगे।

8. विनियमितिकरण की समस्त कार्यवाही 20.02.2015 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

9. टीमों का गठन व कार्यों का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है –

टीम संख्या	टीम के सदस्यों के नाम	कार्यालयों के नाम जहां के दैनिक श्रमिकों के अभिलेखों का निरीक्षण किया जाना है	निर्धारित तिथि
1	1.श्री एस0पी0 शर्मा, सहायक वन संरक्षक / वन्यजीव प्रतिपालक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून। 2.श्री नवीन चन्द्र भट्ट, सांख्यिकीय अधिकारी, कार्यालय नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।	1. कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, कार्यालय उत्तरी कुमाऊँ वृत्त तथा अन्तर्गत समस्त कार्यालय।	09.02. 2015
		2. कार्यालय दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त तथा अन्तर्गत समस्त कार्यालय।	10.02. 2015
		3. कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड। 4. कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव। 5. कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत। 6. कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाऐं। 7. कार्यालय अ0प्र0व0सं0, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय। 8. कार्यालय अ0प्र0व0सं0, नि0 एवं वि0 प्रबन्धन। 9. कार्यालय अ0प्र0व0सं0, प्रचार एवं प्रसार। 10.कार्यालय अ0प्र0व0सं0, पर्यावरण। 11.कार्यालय अ0प्र0व0सं0, कार्य योजना। 12.कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, ईको टूरिजम। 13.कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, आजीविका एवं एन0टी0एफ0पी0। 14.कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अनु0, मू0 एवं ऑडिट। 15.कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता। 16.कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता। 17.कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण, अकादमी, हल्द्वानी।	11.02. 2015

2	1. श्री वी0के0 सिंह, सहायक वन संरक्षक, भूमि संरक्षण निदेशालय, देहरादून 2. श्री विमल कुमार, सांख्यिकीय अधिकारी, कार्यालय मूल्यांकन एवं अनुश्रवण।	1. पश्चिमी वृत्त कार्यालय तथा उनके अन्तर्गत समस्त कार्यालय।	09.02. 2015
		2. कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, कार्यालय वन वर्धनिक पर्वतीय क्षेत्र, नैनीताल एवं साल क्षेत्र हल्द्वानी तथा उनके अन्तर्गत समस्त कार्यालय।	10.02. 2015
		3. कार्यालय राजाजी राष्ट्रीय पार्क एवं उनके अन्तर्गत समस्त कार्यालय।	11.02. 2015
3	1. श्री बी0के0 श्रीवास्तव, सहायक वन संरक्षक, तथा 2. श्री कुलदीप सिंह रावत, प्रधान सहायक, (मा0सं0वि0 एवं का0प्र0)	1. कार्यालय कार्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर एवं उनके अन्तर्गत समस्त कार्यालय।	09.02. 2015
		2. कार्यालय नंदादेवी बायोस्फियर रिजर्व एवं उनके अन्तर्गत समस्त कार्यालय।	10.02. 2015
		3. कार्यालय गढ़वाल वृत्त एवं उनके अन्तर्गत समस्त कार्यालय।	11.02. 2015
4	1. श्री रंगनाथ पाण्डे, सहायक वन संरक्षक, अलकनंदा भू0सं0व0प्र0, गोपेश्वर 2. श्री अजय प्रकाश यादव, सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, यमुना वृत्त	1. कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, यमुना वृत्त एवं उनके अन्तर्गत समस्त कार्यालय।	09.02. 2015
		2. कार्यालय भागीरथी वृत्त एवं उनके अन्तर्गत समस्त कार्यालय।	10.02. 2015
		3. कार्यालय शिवालिक वृत्त एवं उनके अर्न्तत समस्त कार्यालय।	11.02. 2015

10. अपर प्रमुख वन संरक्षक, मा0सं0वि0 एवं का0प्र0 के पत्रांक 758/29–1(1) दिनांक 15.01. 2015 से वांछित प्रपत्र – 1 व 2 निम्न प्रकार हैं –

प्रपत्र–1

विनियमितिकरण नियमावली, 2013 के नियम–6(1) व (2) के अन्तर्गत तैयार की गयी (नियम–4 के अनुसार) पात्र श्रमिकों की पात्रता सूची

कार्यालय का नाम	श्रमिक का नाम	आरक्षण संवर्ग		जन्म तिथि	शैक्षिक योग्यता	पद का नाम जिसके विरूद्ध अनवरत कार्यरत है	पद के विरूद्ध कार्य पर रखे जाने की तिथि
		उर्ध्व आरक्षण के अनुसार	क्षैतिज आरक्षण के अनुसार				

प्रपत्र–2

कार्यालय के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2014 के अनुसार समूह 'घ' के रिक्त पदों की सूचना

कार्यालय का नाम	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों में आरक्षण की स्थिति	
			उर्ध्व आरक्षण	क्षैतिज आरक्षण

(एस0एस0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक क- 1256 /29-3(3) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस0एस0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक ख-1256 /29-3(3) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि समस्त कार्यालयाध्यक्षों को उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण करने तथा अनुपालन सूचना अपर प्रमुख वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(एस0एस0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।